यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, अपर सचिव, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उत्तराखण्ड़, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, अपर सचिव, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उत्तराखण्ड़, देहरादून के माह 10/2007 से 07/2020 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.08.2020 से 25.08.2020 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मक- यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है, जिसमें माह 10/2007 से 07/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- देहरादून।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्तियां**	**कुल आवंटन**	**व्यय**	**बचत**
2016-17	9.91	20.51	30.43	20.83	9.59
2017-18	9.59	0.20	9.79	7.92	1.87
2018-19	1.87	69.96	71.83	45.57	26.26
2019-20	26.26	650.15	676.42	205.56	470.86
2020-21	470.86	548.50	1019.36	479.63	539.73

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**योग**	**व्यय**	**बचत**
2016-17		00				
2017-18		00				

2018-19		00				
2019-20	Capcaity Building to EOC	00	20.00	20.00	5.00	15.00
	Pilot project to Improve earth quake Residency of masonry Lifeline Building	00	91.00	91.00	00	91.00
	Land slide Risk Mitigation scheme	150.00	102.56	252.56	00	252.56
2020-21	Capcaity Building to EOC	15.00	00	15.00	00.0	15.00
	Pilot project to Improve earth quake Residency of masonry Lifeline Building	91.00	00	91.00	1.20	89.80
	Land slide Risk Mitigation scheme	252.56	00	252.56	00	252.56
	Budget sendai Framework for DRR(NDMA)	6.51	00	6.51	3.65	2.86

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई (कार्यालय, अपर सचिव, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उत्तराखण्ड़, देहरादून)'ए' श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
प्रमुख सचिव/सचिव
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
लेखाकार
सहायक लेखाकार
निजी सहायक/स्टेनो
कार्यालय सहायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, अपर सचिव, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उत्तराखण्ड़, देहरादून की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, अपर सचिव, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उत्तराखण्ड़, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

माह 03/2009, 03/2011, 03/2016, 03/2017, 03/2019, एवं 03/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम,1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 15 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग 2 ब

प्रस्तर सं 01:- सलाहकार समितियों पर ₹ 1.54 करोड़ का अनियमित व्यय।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 17(1) और (2) के अनुसार राज्य प्राधिकरण जब कभी आवश्यक हो, आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन कर सकता है, जिसके सदस्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ हों तथा उन्हें आपदा के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव हो। सलाहकार समिति के सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भत्ते का भुगतान किया जाएगा। आगे, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 78 की उप-धारा (1), (2) (बी) में निहित प्रावधानों के अनुसार, सलाहकार समिति के सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले भत्तों हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

2008-09 से 2017-18 की अवधि के दौरान सलाहकार समितियों के कर्मचारियों के कार्यालय व्यय और वेतन-भत्तों पर ₹ 59.97 लाख की धनराशि का व्यय किया गया। उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 2008-09 से 2017-18 की अवधि के व्यय विवरणों एवं सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया किः-

सलाहकार समितियों के गठन एवं उनके कर्मचारियों के वेतन-भत्तों हेतु कोई नियम नहीं बनाए गए।

2008-09 से 2017-18 के दौरान प्रति वर्ष सलाहकार समिति का गठन किया गया जबकि केवल वर्ष 2008 में एक तथा 2013 में कुल चार बैठकों का आयोजन किया गया। अन्य वर्षों में उक्त समितियों द्वारा न तो कोई बैठक ही आयोजित की गयी तथा न ही आपदा प्रबंधन हेतु कोई परामर्श ही दिया गया।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार सलाहकार समिति के सदस्यों को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए तथा उन्हें आपदा के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव भी होना चाहिए, लेकिन उक्त सदस्यों की नियुक्ति में अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया।

सलाहकार समितियों की यात्राओं पर ₹ 63.40 लाख का व्यय किया गया, परंतु की गयी यात्राओं पर हुए व्यय के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के इंगित किये जाने परः

1. अधिशासी निदेशक ने स्वीकार किया कि सलाहकार समितियों के गठन एवं उनके कर्मचारियों के वेतन-भत्तों हेतु कोई नियम नहीं बनाए गए तथा वर्ष 2008 एवं 2013 के अतिरिक्त सलाहकार समिति द्वारा किसी बैठक का आयोजन नहीं किया गया, एवं

2. सलाहकार समिति के सदस्यों को आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए तथा उन्हें आपदा के क्षेत्र व्यावहारिक अनुभव भी होना चाहिए । इस संदर्भ में उत्तर दिया कि अधिनियम में परामर्श समिति के सदस्यों की भर्ती के कोई नियम नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम में यह स्पष्ठ उल्लेख किया गया है कि समिति के सदस्यों को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए तथा उन्हें आपदा के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव भी होना चाहिए।

उपरोक्त तथ्यों से सपष्ट है कि उक्त समितियों के गठन, उनके सदस्यों की नियुक्ति तथा उनको किए गए भत्तों के भुगतान में अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। इस प्रकार अनियमित रुप से गठित समितियों पर ₹ 1.54 करोड़ का व्यय किया गया।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर सं 02:- ₹ 399.42 लाख की धनराशि का समर्पण न किया जाना।

उत्तराखंड शासन द्वारा विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं हेतु राज्य आपदा विकास प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2019-20 के दौरान रु 470.19 लाख (अनुलग्नक) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। शासनादेशों की सामान्य शर्त के अनुसार अवमुक्त धनराशि का उपयोग संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत तक किया जाना था और शासन को उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशि शासन को समर्पित की जानी थी। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2019-20 के दौरान अवमुक्त धनराशि रु 470.19 लाख के सापेक्ष लेखापरीक्षा की तिथि (जुलाई 2020) तक प्राधिकरण द्वारा कुल रु 78.41 लाख ही व्यय किया गया एवं रु 391.78 लाख की धनराशि अव्ययित रही। आगे जांच में यह भी पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा न तो अवशेष धनराशि शासन को समर्पित की गयी और न ही अवशेष धनराशि के व्यय हेतु शासन से नयी स्वीकृति ही प्राप्त की गयी।

लेखापरीक्षा मे इंगित किये जाने पर अधिशासी निदेशक ने उत्तर दिया कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारणवश वर्ष 2019-20 हेतु बजट का उपयोग नहीं किया जा सका। परियोजना की अवधि समाप्त नहीं हुई थी इसी कारणवश धनराशि समर्पित नहीं की गई एव कोई भी नई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासनादेश के अनुसार उक्त धनराशि मार्च 2019 एवं मार्च 2020 तक व्यय की जानी थी एवं महामारी मार्च 2020 के अंत मे शुरू हुई। इस प्रकार प्राधिकरण की शिथिलता के कारण रु 391.78 लाख के धनराशि अवरुद्ध रही एवं शासन को समर्पित नही की गई।

2. शासन के पत्रांक दिनांक 4 अगस्त, 2017 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि केन्द्र पोषित परियोजना "Sustainable Reduction in Disaster Risk in 10 multi hazard Districs in five States of in india (SRDR) के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के उपयोग के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित कर दिया जाये।

कार्यालय, अपर सचिव, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उत्तराखण्ड़, देहरादून के उपर्युक्त परियोजना से सम्बंधित अभिलेखों एवं बैंक स्टेटमेंटों की संवीक्षा में पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु स्टेट बैंक ऑफ इण्डियां,शाखा सचिवालय परिसर देहरादून

में खाता संख्या-35920642433 का संचालन किया जा रहा था। उक्त खाते में 17 अगस्त, 2020 को रू 764461/- की धनराशि जमा थी अर्थात उक्त तिथि को संदर्भित खाते का अंतिम अवशेष था। आगे संदर्भित परियोजना से सम्बंधित अभिलेखों में पाया गया था कि संदर्भित परियोजनान्तर्गत शासन द्वारा प्राधिकरण को वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक रू 90.28 लाख का धनावंटन किया गया था। कुल आंवटित धनराशि के सापेक्ष रू 82.63 लाख का व्यय किया गया,तथा रू 7.64 लाख की धनराशि अवशेष थी तथा अवशेष धनराशि को शासन को समर्पित किया जाना चाहिए था, जबकि परियोजना 31 मार्च, 2020 को पूर्ण हो चुकी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिउत्तर में बताया कि उक्त धनराशि के समर्पण की कार्यवाही गतिमान थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

Annexure

Purpose	Release date	Release Amount	Expenditure	Balance	Date up to which amount was to be utilized
Creation and maintenance of USDMA website	August 2018	2739500	723485	2016015	31.03.2019
Disaster Relief kit	October 2019	2646000	2640000	6000	31.03.2020
Renewals of I SAT phone	January 2020	3130000	1710000	1420000	31.03.2020
Capacity building to EOC	January 2020	2000000	500000	1500000	31.03.2020
Pilot project to improve earthquake resilience of masonry lifeline building and upcoming construction in selection locations of Uttarakhand	January 2020	9100000	120350	8979650	31.03.2020
Landslide risk mitigation scheme	October 2019	25256000	00	25256000	31.03.2020
Installation of docking units for satellite phone	November 2019	2147600	2147600	00	31.03.2020
		47019100.00	**7841435.00**	**39177665.00**	

STAN

प्रस्तर 01- ₹ 76.39 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्रों का अप्राप्त रहना।

कार्यालय, अपर सचिव, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड़ के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि शासन के पत्रांक दिनांक 29 मार्च, 2019 के द्वारा आई.आई.टी. रूड़की को रू 18.03 लाख, Estalishment of earthquake early warming system के कार्यों के निष्पादन हेतु, पत्रांक दिनांक 12 जुलाई 2018 के द्वारा ग्रामीण निर्माण प्रखण्ड़ देहरादून को कार्यालय सभागार एवं शौचालयों के पुनरुद्धार हेतु रू 53.36 लाख एवं पत्रांक दिनांक 18 जनवरी,2019 के द्वारा जागृति गढ़वाल जन जागरण संस्था कोटद्वार को सामुदायिक रेडियो प्रोत्साहन नीति हेतु अर्थात उपर्युक्त संस्थाओं को कुल रू 76.39 लाख प्रश्नगत तिथियों को संदर्भित कार्यों के निष्पादन हेतु अवमुक्त किये गये थे। उक्त अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बंधित संस्थाओं द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक उपलब्ध नहीं कराये गये थे जबकि बजट आवंटन पत्र में स्पष्ट था कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिउत्तर में बताया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बंधित कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त करके उपलब्ध करा दिये जायेगे।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 02- ₹ 0.55 लाख के अग्रिम का समायोजन लम्बित रहना।

कार्यालय, अपर सचिव, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उत्तराखण्ड़, देहरादून के अग्रिम से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र में तैनात स्टाफ को लेने एवं छोड़ने तथा आपदा से सम्बंधित कार्यों पर ईधन व्यवस्था हेतु डा0 के0एन0 पाण्डे, कनिष्ठ कार्यकारी को माह मार्च, 2020 में ₹ 30000/ एवं माह मई, 2020 में ₹ 25000/ अर्थात कुल ₹ 55,000/ का अग्रिम दिया गया था, परन्तु लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त दोनो अग्रिम धनराशियों के बिल/वाउचर्स समायोजन हेतु कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराये गये थे,जबकि प्रथम अग्रिम के समायोजनोपरान्त ही द्वितीय अग्रिम की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए थी तथा जिस परियोजन हेतु अग्रिम अनुमन्य किया गया था, उस परियोजन के पूर्ण होने के उपरान्त अग्रिमों का समायोजन यथाशीघ्र उपलब्ध कराना चाहिए था।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिउत्तर में बताया कि समायोजन की कार्यवाही गतिमान थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 03- बैंक खाते में जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि ₹ 5.57 लाख को राजकोष में जमा न किया जाना।

शासनादेश के पत्रांक दिनांक 3 सितम्बर, 2009 में स्पष्ट था कि यदि किसी विशिष्ट कारणों के कारण समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपभोग न किया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो, तब इस प्रकार अर्जित धनराशि राजकोष में लेखाशीर्षक 0049-ब्याज प्राप्तियाँ में जमा किया जाय।

कार्यालय अपर सचिव, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उत्तराखण्ड़, देहरादून के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 तक राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के बचत खाता संख्या- 30357062718 में जमा धनराशियों पर रू 556958/ (रू 57226 + रू 33833+ रू 51442 + रू 19620 + रू 62944 + रू 331893 = रू 556958) अर्जित ब्याज की धनराशि को लेखापरीक्षा तिथि तक राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था। जबकि उक्त शासनादेशानुसार विधिवत राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा द्वारा उपर्युक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने प्रति उत्तर में बताया कि वर्ष 2013 में घटित आपदा के उपरान्त सम्पादित किये जा रहे आपातकालीन व महत्वपूर्ण कार्यों के दृष्टिगत धनराशि का राजकोष में समर्पण नहीं किया जा सका। इकाई का उत्तर मान्य नही है, क्योंकि वर्ष 2013 के बाद विभिन्न मदों में कई तरह के भुगतान किये जा चुके थे, तथा अर्जित ब्याज की धनराशि भी भुगतान का ही भाग है जिसे चालान के माध्यम से राजकोष में जमा किया जा सकता था जो इकाई द्वारा नहीं किया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 04- ₹ 14,000/- की वसूली कर राजकोष में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड़ शासन के शासनादेश सं.-वित्त (वे.आ.सा.नि.) अनुभाग-07, दिनांक- 07/06/17 के अनुक्रम में शासनादेश के अनुसार प्रत्येक अधिकारी, जिन्हे वाहन आवंटित है, को 200 कि.मी. प्रति माह तक वाहन का निजी प्रयोग करने पर राजकीय कोष में प्रति वाहन ₹ 2000/-प्रति माह की राशि जमा किया जाना सुनिश्चित करना है।

इकाई के वाहनों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 01 वाहन अधिशासी निदेशक को आवंटित है, तथा वेतन अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि अधिशासी निदेशक के पद का DMMC से USDMA में 01/20 को विलय के उपरान्त उनके वेतन से 01/2020 से 07/2020 तक प्रतिमाह ₹ 2000/- की दर से 07 माह का कुल ₹ 14,000/- की कटौती कर राजकोष में सम्प्रेक्षा तिथि तक राजकोष में जमा नहीं कराया गया था।

इकाई ने उत्तर में बताया कि वाहनों का उपयोग अधिशासी निदेशक सहित अन्य अधिकारियों के द्वारा कार्यालयी कार्यों के सम्पादन हेतु किया जाता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 01 वाहन अधिशासी निदेशक को आवंटित है।

अतः ₹ 14,000/- की वसूली का राजकोष में जमा न किया जाना उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
	प्रथम लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी।		शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	प्रथम लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी।		-	

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, अपर सचिव, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उत्तराखण्ड़, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य

2- सतत् अनियमितताये:- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/डी0डी0ओ0 का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.स.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1	मंजुल कुमार जोशी	अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन	अप्रैल, 2008	सितम्बर, 2009
2	भास्करान्नद जोशी	आपदा प्रबन्धन	अक्टूबर, 2009	सितम्बर, 2011
3	एम.एच.खान	सचिव, आपदा प्रबन्धन	अक्टूबर, 2011	मार्च, 2012
4	ओम प्रकाश	सचिव, आपदा प्रबन्धन	अप्रैल, 2012	जनवरी, 2013
5	भास्करान्नद जोशी	आपदा प्रबन्धन	फरवरी, 2013	मार्च, 2015
6	आर. मीनाक्षी सुन्दरम	सचिव, आपदा प्रबन्धन	अप्रैल, 2015	सितम्बर, 2015
7	अमित नेगी	सचिव, आपदा प्रबन्धन	अक्टूबर, 2015	दिसम्बर, 2015
8	सी. रवि शंकर	अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन	जनवरी, 2016	मार्च, 2017
9	प्रदीप कुमार शुक्ल	अनु सचिव, आपदा प्रबन्धन	अप्रैल, 2017	फरवरी, 2019
10	राजेन्द्र पतियाल	उप सचिव, आपदा प्रबन्धन	मार्च, 2019	सितम्बर, 2019
11	देवेन्द्र पालीवाल	अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन	अक्टूबर, 2019	04 अगस्त, 2020
12	डा. आन्नद श्रीवास्तव	अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन	05 अगस्त, 2020	वर्तमान

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, अपर सचिव, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उत्तराखण्ड़, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ए0एम0जी0-III को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-III